

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक:—एफ.14(3)(1)चुनाव / श्रम / विधि / 2015 / पार-2 / 00175

जयपुर, दिनांक 03/09/2026

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के नगरीय निकायों के आमचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि 09.09.2026 एवं 11.09.2026 निश्चित की गई है। (कार्यक्रमों की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के अनुसार नगरीय निकायों के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:—

*135 ख— मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी—

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/—तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।”

अतः राज्य सरकार सम्बन्धित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में दिनांक 09.09.2026 (प्रथम चरण) एवं 11.09.2026 (द्वितीय चरण) के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों (जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं) को 'मतदान दिवस' के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

(प्रजा पार्थ)
श्रम आयोग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.14(3)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/00175 2776-2866

जयपुर, दिनांक: 03/08/26

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 4(2)(1)/नपा /रानिआ/2026/6762 दिनांक 19.08.2026 के कम में।
- 2-निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3-विशिष्ट शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4-वरिष्ठ शासन उप सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5-वरिष्ठ निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 6-जिला कलेक्टर (समस्त)
- 7-संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त (समस्त) एवं श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।
- 8-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में समुचित प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित है।
- 9-गार्ड पत्रावली।


श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/26/7722

दिनांक: 03.03.26

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलेक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप सचिव